न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
82 / 2016 प्रा.पत्र / 2016	20.12.2016	09.02.2024

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1—श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री अमोलक चन्द जैन विकेता / एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिराना तह. पीपलू जिला टोंक राज. निवासी बस स्टैण्ड झिराना तह. पीपलू जिला टोंक

2—मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड झिराना तह. पीपलू जिला टोंक राज.

3—श्री मनोज कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष बाजार सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज.

4—मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष बाजार सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज.

5—श्री ओम प्रकाश जैन पुत्र श्री मूल चन्द प्रोपरायटर मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा जिला टोंक राज.

6—मैसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा जिला टोंक राज.

7—श्री रमेश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री रामदयाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी बी—38 राजधानी कृषि मण्डी, कूकर खेडा, सीकर रोड, जयपुर निवासी ए—83 शिल्प कॉलोनी झोटवाडा जयपुर राज.

8—मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी बी—38 राजधानी कृषि मण्डी, कूकर खेडा, सीकर रोड, जयपुर

9—श्री ओम प्रकाश शर्मा सोल प्रोपरायटर शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार नोखा जिला बीकानेर राज. निवासी शिव मन्दिर के पास नोखा जिला बीकानेर राज.

10—मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार नोखा जिला बीकानेर राज.

11—श्री ओम प्रकाश शर्मा डायरेक्टर मैसर्स श्री नाथ कृपा फूड प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड एफ—41 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया नोखा जिला बीकानेर राज.

12—मैसर्स श्री नाथ कृपा फूड प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड एफ—41 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया नोखा जिला बीकानेर राज.

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा एवं श्री जितेन्द्र कुमार जैन उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 09.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.01.2016 को समय 01:09 पीएम पर मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

झिराना तह. पीपलू जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री अमोलक चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** 452–452 ग्राम के 13 सील पैक नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री महेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 452–452 ग्राम के 4 सील पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** 452–452 ग्राम के 4 सील पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग–अलग रखकर अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1263 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1263 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री अमोलक चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स सुभाष बाजार सुभाष सर्किल मालपुरा का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स ने मेसर्स पवन किराणा स्टोर माणक चौक मालपुरा का मैसर्स पवन किराणा के व्यवहारी ने मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी बी–38 राजधानी कृषि मण्डी, कूकर खेडा, सीकर रोड, जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक द्वारा मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मेसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार नोखा जिला बीकानेर राज. का बिल पेश किया। मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग से आवेदक द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्री नाथ कृपा फूड प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड एफ–41 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया नोखा जिला बीकानेर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर इसे उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 16 / 1154 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. / 24 / एफ.एस.एस.ए. / 2016 / 74 दिनांक 01.12.2016 अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री निदेश कुमार शर्मा एवं श्री जितेन्द्र कुमार जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट / दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। इसके लेबल पर सभी आवश्यक जानकारियां अंकित है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000 / – (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.02.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0